सत्यमेव जयते

NCPCR

डॉ. योगेश दुबे द्वारा भीलवाड़ा जिले के माण्डल व आसीन्द क्षेत्र मे स्थित ईंट भट्ठो, स्कुलो का निरीक्षण रिपोर्ट और डॉ. दुबे द्वारा बल श्रम उन्मूलन हेतु की गयी कार्यवही

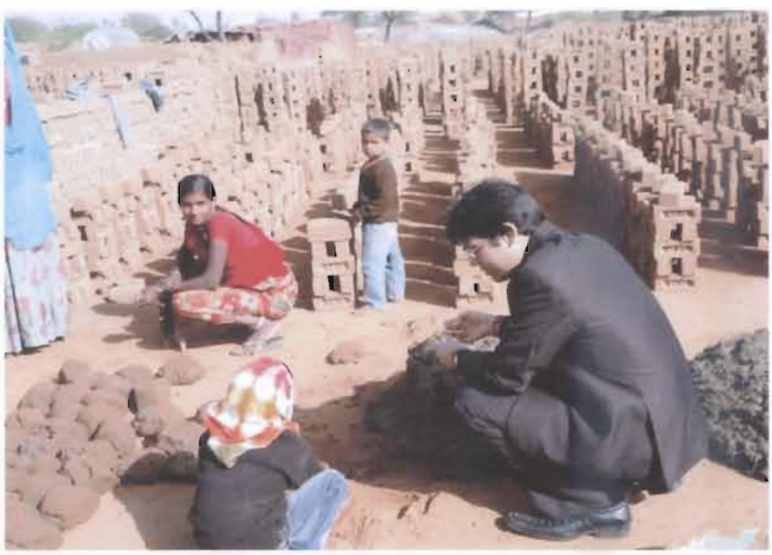

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

डॉ. योगेश दुबे द्वारा 6 फरवरी 2013 को भीलवाड़ा जिले के माण्डल व आसीन्द क्षेत्र मे स्थित ईंट भट्ठो, स्कुलो का निरीक्षण रिपोर्ट

१. ईंट भट्ठो का निरीक्षण

सर्व प्रथम प्रात: 10.15 पर माण्डल स्टेशन के पास मे फैले 5 भट्टो का निरीक्षण किया गया जंहा मजदूर काम करते पाए गए । एक भट्ठे के निरीक्षण करने के दौरान पाया गया कि वहां 8 मजदूर काम कर रहे थे । मजदूरो से पुछे जाने पर उन्होंने बताया की वे आलोट, जिला–रतलाम, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं ।

उन्होने यह भी बताया कि उनको 1000 ईंट बनाने के 250 रूपये मिलते हैं ।

मालिक से भट्ठे के दस्तावेजो को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो उसने प्रस्तुत करने असमर्थता जताई । इस भट्ठे पर मजदूरो के वेज स्लीप, हाजरी रजिस्टर व अन्य आवश्यक रिकोर्ड नही होने की स्थिति मे माकि अमरचंद के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश श्रम विभाग को दिये गये। श्रम विभाग की ओर से श्रम निरीक्षक विश्वेशर

चौधरी कार्यवाही प्रारंभ कर नोटिस जारी किया । एक अन्य भट्ठे पर निरीक्षण के दौरान रेखा पुत्री बापु लाल उम्र 6 वर्ष निवासी–कानड़ीया, तहसील–आलोट जिला–रतलाम, मध्यप्रदेश अपने पिता के साथ काम करते पाई गई । उसके पिता ने बताया कि वह कभी–कभी काम मे हाथ मे बटाती हैं । उसने बताया कि वह यहां स्कुल नही जाती हैं ।

२. स्कुल निरीक्षण

इसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कीरखेड़ा ग्रा.पं. संतोकपुरा, तहसील–माण्डल, जिला–भीलवाड़ा) का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान पाया गया की बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और वे अपने अध्यापको का इन्तजार कर रहे हैं । मौके पर पुरा स्टाफ मौजुद नही था । इस विद्यालय मे 5 स्टाफ हैं । इसी दौरान बच्चो के मिड डे मील बनाने वाली महिला कार्यकर्ता से बातचीत की और देखा तो पाया गया कि किचन शेड मे किसी प्रकार की खाद्य सामग्री मौजुद नही हैं । उन्होने बताया कि अक्सर यहां से गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री चोरी हो जाती हैं जिसके कारण स्कुल के एक कमरे मे रखी गई हैं । वे स्कुल हेडमास्टर का इन्तजार कर रही थी । उनके आने पर जब वे खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगें तब मिड डे मील बनाना प्रारंभ किया जाएगा । इसी विद्यालय मे आगंनवाड़ी केन्द्र भी चलता है क्योकि पृथक आगंनवाड़ी केन्द्र नही हाने के कारण विद्यालय मे ही चलाया जाता हैं । आगंनवाड़ी मे निरीक्षण के दौरान ही पंहुची आशा सहयोगिनी मोबीन बानू ने बताया कि आगंनवाड़ी कार्यकर्ता मीना प्रजापत व सहायिका कमला शर्मा किसी काम से बाहर गई हुई हैं । उनसे आगंनवाड़ी के रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो वे प्रस्तुत नही कर पाई । उनके द्वारा एक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमे वर्ष व माह अंकित नही होने से यह स्पष्ट नही हो पाया कि उस रजिस्टर मे अंकित सुचना कब की हैं ।

11 बजे संस्था प्रधान केसर गोखरू विद्यालय मे उपस्थित हुई और देरी से आने का कोई कारण नही बता पाए । इसी दौरान माण्डल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद जौशी भी वहां पंहुच गये । बच्चो के पास किताबे व ड्रैस नहीं थी और विद्यालय मे टॉयलेट चालु नही था। विद्यालय के बाउड्री वॉल नही थे ।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विद्यालय में कुल 130 बच्चो का नामांकन है जिसमे से 45 बच्चे ही उपस्थित थे ।
- 11 बजे तक 4 अध्यापिका मनीषा बोहरा, नियामत नूर, सरिता शर्मा व अनिता शर्मा उपस्थित नहीं थी ।
- विद्यालय में 3 टॉयलेट हैं जिसमे से एक भी चालु स्थिति मे नही हैं । एक मे पानी नहीं हैं तथा दो मे ईंटे व पत्थर भरे हुए पड़े थे ।
- विद्यालय मे मीड डे मील सामग्री चोरी की एफ.आई.आर. थाने मे दर्ज करवाई गई परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई हैं ।
- आसपास के ईंट भट्ठो से बच्चे पढने के लिए नही आते हैं ।

निर्देश

- देरी से आने वाले टीचर्स पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर नोटिस जारी करने का आदेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दिया गया ।
- किचन शेड मे मीड डे मील के लिए खाद्य सामग्री नही होने है इसकी कार्यवाही हेतु आदेश ।
- समय पर गुणवत्तायुक्त मीड डे मील दिया जावे ।
- विद्यालय में टॉयलेट तुरन्त चालु करवाये जाये।

इसके पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलाई खेड़ा (माण्डल) का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य सामने आये ।

- विद्यालय मे कुल 6 अध्यापको मे से 4 ही मौजुद थे।
- विद्यालय मे मीड डे मील दिन मे 1.30 बजे मिलता हैं ।
- विद्यालय में 3 टॉयलेट हैं जो कि चालु अवस्था मे हैं ।

3. ईंट भट्ठो का निरीक्षण

11.30 बजे के लगभग **शारदा ईंट उद्योग गांव –रांवा खेड़ा, तहसील–माण्डल, जिला–भीलवाड़ा** का निरीक्षण किया गया जहां निरीक्षण के दौरान पाया गया कि –

- इस ईंट भट्ठे पर पर्याप्त बच्चे होने पर भी एन.आर.बी.सी. नही चलाया गया । मौके पर उपस्थित सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारी संतोषप्रद जवाब नही दे पाए ।

- इस ईंट भट्ठे पर निरीक्षण के दौरान बच्चे काम करते पाए गए । एक बच्चा जिसका नाम भरत बिहारी(गोलु) आयु 9 वर्ष हैं वह काम करता पाया गया ।
- भट्ठे पर मजदूरो से बातचीत करने के दौरान बताया कि वे सभी प्रवासी मजदूर है जो कि यू. पी. के चित्रकूट जिले से मालिक द्वारा अग्रीम राशि देकर ठेकेदार के माध्यम से लाए गये हैं । मजदूर रामसंजीवन पिता राम प्रसाद हरिजन गांव–खो, तहसील–कर्वी, जिला – चित्रकूट, यू.पी. का रहने वाला है । उसको भट्ठे पर थपाई काम पर आने के बदले 12000 रूपये मालिक द्वारा अग्रीम दिया गया हैं ।

भट्ठे पर दिए गए निर्देश

- एक बच्चा बालश्रम करता पाया गया । मौके पर उपस्थित उप श्रम आयुक्त श्री चंद तेतरवाल को बाल श्रम अधिनियम अन्तर्गत मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर चालान काटने की कार्यवाही की गई ।
- श्रम विभाग को अग्रीम राशि लेकर काम कर रहे मजदूरो के संदर्भ मे बन्धुआ मजदूरी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने को आदेश दिया गया ।
- सर्व शिक्षा अभियान को आदेश दिया गया कि शिक्षा से वंचित बच्चो का स्कुल मे एडमीशन करवाये ।
- मौके पर मौजुद चिमनी ईंट भट्ठा एसोसिएशन के पदाधिकारियो को बताया गया कि वे मजदूरो की एक बैठक बुलवाये जिसमे केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी देकर उन तक सेवाओ को पंहुचाया जा सके ।

इसके पश्चात **प्रभु ईंट उद्योग, मामादेव मंदिर के पास, गांव –भगवान पुरा, तहसील–माण्डल, जिला–भीलवाड़ा** का निरीक्षण किया गया जहां निरीक्षण के दौरान पाया गया कि –

- इस भट्ठे पर छेदी लाल पिता चुन्नु लाल हरिजन गांव–कसहाई , तहसील– कर्वी ,

जिला– चित्रकूट , यू.पी. उम्र 12 साल ईंट थपाई का काम करते पाया गया ।

- इस भट्ठे पर पर नवजात बच्चो को किसी भी प्रकार का टीकाकरण नही हुआ । यंहा देखा गया कि लक्ष्मी पुत्री रिंकू आयु 3 माह की हैं इसका पिता गांव –सीतापुर , तहसील– कर्वी , जिला– चित्रकूट , यू.पी. का रहने वाला हैं । इसकी पत्नी ने बताया कि उसकी नवजात को किसी प्रकार का टीका नही लगा हैं ।
- इस भट्ठे के कार्यालय के बरामदे मे ही एक एन.आर.बी.सी. सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया गया हैं । इसमे 23 बच्चे मौजुद थे जिसमे अधिकांश लड़कीया थी ।

- भट्ठे पर आई.सी.डी.एस. की सेवाए लागु नही हैं ।
- मालिक के पास मजदूरो से संबंधित किसी प्रकार रिकोर्ड नही पाए गए तथा कार्यवाही होती देख मौके से भाग गया ।
- मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियो से जानकारी लेते समय सामने आपसी विरोधाभास सामने आया । उनके पास आवश्यक रजिस्टर आदि मौजुद नही थे ।
- सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया गया एन.आर.बी.सी. का निरीक्षण किया गया उसके रजिस्टर मे 23 बच्चो की एक सूची पाई गई परन्तु नामांकन आदि उसमे अंकित नही था ।
- स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियो से जानकारी लेते समय सामने आया कि महिलाए बच्चो को टीका लगवाने से मना करती हैं । भट्ठे पर उनकी एक बैठक आयोजित की गई जिसमे 25 महिलाए उपस्थित हुई । उनको टीकाकरण के महतव को समझाया गया ।

निर्देश

- इस भट्ठे पर एक बच्चा बालश्रम करता पाया गया । मौके पर उपस्थित उप श्रम आयुक्त श्री चंद तेतरवाल को बाल श्रम अधिनियम अन्तर्गत मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर चालान काटने की कार्यवाही की गई ।
- श्रम विभाग को अग्रीम राशि लेकर काम कर रहे मजदूरो के संदर्भ मे बन्धुआ मजदूरी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने को आदेश दिया गया ।

- मालिक द्वारा रिकोर्ड प्रस्तुत नही करने तथा मौके से भाग जाने के लिए चालान उसके कार्यालय के बाहर चस्पा किया गया ।

इसके पश्चात **लक्ष्मी ईंट उद्योग, गांव –हरिपुरा, तहसील–माण्डल, जिला–भीलवाड़ा** का निरीक्षण किया गया जहां निरीक्षण के दौरान मजदूरो से संपर्क कर उनकी परिस्थितियो के बारे मे जाना गया ।

सरकारी विभगों के अधिकारीयों के साथ बैठक

इस बैठक का आयोजन कलेक्ट्री हॉल मे किया गया । इस बैठक मे आयोग के सदस्य डॉ. योगेश दुबे, अतिरिक्त जिला कलक्टर टी.सी. बोहरा, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, फैक्ट्री एण्ड बॉयलर विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि के प्रतिनिधि मौजुद थे । लगभग दो घंटे चली इस बैठक मे बाल सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन व सभी विभागो द्वारा किये जा रहे कार्यो का रिव्यु किया गया । रिव्यु के दौरान निम्न तथ्य उभर कर सामने आये –

- किसी भी विभाग के पास ईंट भट्ठो की आधिकारिक सूची नही हैं ।
- श्रम विभाग द्वारा कुल 28 भट्ठो पर निरीक्षण किया गया जिसमे 6 के विरूद्ध नियमो की पालना नही करने पर चालान काट जुर्माना वसुल किया हैं ।

- श्रम विभाग द्वारा 2012 मे कुल 188 निरीक्षण किये गये हैं जिसमे 11 के विरूद्ध नियमो की पालना नही करने पर न्यायालय मे चालान किया हैं ।
- वर्ष 2008 मे 40 बाल श्रमिक विद्यालय चलते थे जो कि कारणवश बंद हो गए ।
- अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम अन्तर्गत एक भी श्रमिक का पंजीयन नही हुआ हैं ।
- इस साल के सर्वे के अनुसार ड्रॉपआउट बच्चो की संख्या 12814 हैं । नॉन गोईंग बच्चो की संख्या 6643 हैं ।
- इस वर्ष टास्क फॉर्स की कुल 4 बैठके हुई हैं ।
- वर्ष 1997 के बाद मे भीलवाड़ा जिले मे एक भी बन्धुआ मजदूरी का केस नही आया हैं ।
- महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिले मे 58 हजार बच्चे कुपोषित हैं जिसमे 2 हजार बच्चे अतिकुपोषित हैं ।

महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

- भीलवाड़ा जिले मे कितने ईट भट्ठे है ? उनकी सूची जिला प्रशासन तैयार करगा तथा अवैध ईट भट्ठो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।
- शिक्षा विभाग विद्यालयो मे कितने टॉयलेट चालु व बंद हैं इसकी एक रिपोर्ट आयोग को भेजेगा ।
- ईट भट्ठो मे काम करने वाले परिवारो व बच्चों का एक सर्वे किया जाएगा तथा श्रम विभाग इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजेगा ।
- स्वास्थ्य विभाग पानी तथा हवा के प्रदुषण की जांच करवाएगा ।
- जिला प्रशासन ईट भट्ठा मालिको कोएक पत्र जारी कर निर्देशित करेगा कि ईट भट्ठा पर रहने वाले मजदूर परिवारोतथा बच्चो की उपयुक्त चिकित्सको द्वारा स्वास्थ्य जांच करवायेगा ।
- जिला प्रशासन व सभी विभाग बच्चो की सुरक्षा व कल्याण को ध्यान मे रखते हुए स्कुल, आंगनवाड़ी, पालनागृह, माईग्रटरी छात्रावास के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजेगा ।
- अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के परिवारो व बच्चो को अधिकतम सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओ से जोड़ा जासके ऐसे प्रस्ताव तैयार किए जाएगे ।

बैठक के निर्णय

- अवैध ईट भट्ठो तथा खनन के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा उनको बंद करवाया जाएगा।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला एवं बालविकास सहित अन्य विभागो का एक्शन प्लान बनेगा ।
- भीलवाड़ा मे क्लस्टर स्कुल, आंगनवाड़ी व चल चिकित्सालय खोले जाएगे।
- मार्च मे बालश्रम को लेकर कार्यशाला आयोजित की जाएगी ।
- ईट भट्ठा मालिको को नोटिस जारी कर श्रम कानूनो की पालनार्थ कार्यवाही कह जाएगी ।

1. Recommendations

F. No. RJ/Comp/NCPCR/02013/ February 13, 2013

Dear

Pursuant to the complaint received regarding involvement of more than 4000 children in the brick kilns of Bhilwara district of the State, the undersigned had visited Bhilwara, Rajasthan between 5th – 8th February, 2013. The objective of the visit was to inspect the brick kilns in the district to assess the situation of child labour in them and review issues and concerns of children of labourers who migrated from various States and are working in these brick kilns.

2. We deeply appreciate the facilities provided to our team and all the efforts put in to make this visit fruitful.

3. The undersigned has inspected brick kilns functioning at Rawa Khera, Bhagwanpura and Haripura village in Mandal block. Also visited Kesar Gokhuru School and Government Upper Primary School in Balayi Khera village.

4. The undersigned had also held following meetings:
a) Meeting with State level and district level officials from Labour Department, Sarva Shiksha Abhiyan, Home Department, Department of Social Justice, Women and Child Development and Tribal Department on 6th and 7th Februaty, 2013.
b) Meeting with the Chairperson of State Commission for Protection of Child Rights, Rajasthan

5. In view of these intensive visit and meeting, the Commission would like the Government of Rajasthan through your office to initiate the following measures towards addressing the issue child labour in brick kilns and children of migrant labourers working in the brick kilns and other issues related to child rights.

5.1. Recommendations

Labour:

a. Carry out campaign against child labour in the district whole year;
b. Undertake a survey /mapping of the all the brick kilns with the details like how many are legal and illegal, how many of them had taken No Objection Certificate, how many of them are functional on agricultural land, how many are functional after conversion etc. in the district and report to the Commission within 4 weeks;

c. Under Section 8 of Inter State Migrant Workers Act how many Licenses has been issue by the department till date? How many inspection till date in this regard had been done?How many licensing officer are there?. Detail report to be submitted to the Commission;

d. Details of the number of migrant workers registered in Bhilwara district; Details of the workers in the district who have been working in these brick kilns after advance being paid to them;

e. All the brick kilns shall be registered with the concerned panchayat so as to ensure local vigilance and participation of the community living to curb illegal activity and engagement of child labour;

f. Carry out surprise check and inspections in association with other departments/ CWC and ensure safe interim stay and rehabilitation of the rescued children;

g. Operationalise the Task Force and ensure repatriation of the migrant children to their States of origin after rescue, booking of employers under relevant labour laws and recovery of Rs. 20,000 from the erring employers;

h. Clearly demarcate the roles and responsibilities of all members/departments including voluntary members of the District Task force on child labour;

i. Provide special cluster school and NCLP school on-site in the vulnerable areas where child labour is found mainly in brick kilns sites;

j. Also furnish a detailed report of the rescued and rehabilitated children during last three years in the above said the district within one month to the Commission.

k. Prepare a resource directory of all voluntary organizations dealing with the problems of child labour with areas of their expertise and to ensure that such list is updated on regular basis.

l. The department should immediately undertake a door-to-door survey in the three districts as proposed by the labour department to find out the extent of child labour and its report shall be submitted within two months;

m. Conduct training programme for the district officials on the issue of abolition of child labour and making education a reality for all in **Udaipur**;

Mining and Geology:

(i) Status on number of mining (both legal and illegal), including number of lessee, labourers and child labour as well as the children of the labourers;

(ii) Draw a complete action plan/guidelines on mining practices, environmental clearances and the safety standards in the State as applicable to mining under the Mines Act, 1952;

(iii) The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986 clearly prohibits employment of children under 14 in mines or any other hazardous processes. The Mines Act of 1952 (updated to 1983) goes further, prohibiting the employment of those under 18 in mines, unless working as an apprentice under the supervision of a manager, in which case they must be 16. The Mines Rules of 1955 also has a similar clause. Ensure compliance of regulations of the Mines Act, protection of children and records keeping of Mines about

employees, including their age, name, and father or husband's name if applicable, and complete information on each employee is required before they may begin work; and

Education:

(i) The Education Department shall submit the detail report of 60 schools with the enrollment details functional in the year 200 of in the District within 15 days to the Commission;
(ii) Enrollment details of 10983 drop-out children who are now enrolled in the various schools of the district;
(iii) Submit details of the schools with the facility of toilets and drinking water, to the commission within 15 days;
(iv) Send proposal to the State Government to open schools and hostels in the areas where brick kilns are functional and also sent a copy of proposals to the Commission;

Women and Child Development

(v) Conduct a survey of labourers and their children working in various brick kilns in the district and accordingly extend 100 Aaganwadi centres in the mining areas and brick kilns areas functional in the district;
(vi) CDPOs of all the blocks in the districts should send a report on the status of ICDS in these blocks;

Social Welfare:

(i) All NGOs/voluntary organizations running children homes, shelter homes, orphanages shall be duly registered with the Government (as required under Section 34(3) of JJ Act and are monitored regularly to ensure that the homes meet the minimum criteria in terms of infrastructure and personnel;
(ii) Details of all the children home and observation home in the districts along with the staff details;
(iii) Proposals for opening of new children homes and observation homes in the district shall be sent to the state Government;

Health Department:

(i) Expedite the filling of the vacant posts of doctors in Bhilwara district and sent proposal to state Government services;
(ii) Extent all the health facilities to the labourers and children of these labourers working in the mines and brick kilns areas in the district;

We, therefore, request you to please look into the above recommendations and ensure that the same are implemented at the earliest. An Action Taken Report may be furnished to the Commission within 15 working days from the receipt of this letter.

With

Yours sincerely,

(Dr. Yogesh Dube)
Chairman, Mining Committee on abolition of child labour

The Chief Secretary
Government of Rajasthan
Jaipur, Rajasthan
(Fax N0. 0141-2227114)

Copy to:

- Principal Secretary, Department of Labour and Employment, Government of Rajasthan, Phone and Fax: 0141-2227142, 2351313,(M) 94141 80113
- Principal Secretary, Women and Child Development , Government of Rajasthan, 0141-2227889,2713622
- Principal Secretary, School and Sanskriti Education, Government of Rajasthan
- Principal Secretary, Tribal Area Department, Government of Rajasthan
- Principal Secretary, Social Justice, Government of Rajasthan
- Principal Secretary, Department of Home, Government of Rajasthan
- Labour Commissioner, Department of Labour and Employment, Government of Rajasthan, Office of Labour Commissioner ,SHRAM BHAWAN, Shanti Nagar, Khatipura Road, Hasanpura, Jaipur – 302006 (PABX-0141-2450783, 0141-2450784, Tele-Fax- 0141-2450782)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा (राजस्थान)

क्रमांक/विकास/2013/4405 दिनांक 08 फरवरी 2013

शासन सचिव एवं आयुक्त
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान सरकार – जयपुर

विषयः– ईट भट्टो एवं इसके समान औद्योगिकी इकाईयों हेतु आंगनबाडी केन्द्रों की स्वीकृति के कम में।

महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 06–02–2013 को माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जिले का भ्रमण करके एक बैठक ली गई। भीलवाडा जिले में बहुतायत में ईट भट्टे संचालित हैं, इनमें बाहर के आये हुए श्रमिक मय परिवार के रहते है। जिनमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती/धात्री माताऐं व किशोरी बालिकाऐं भी साथ रहती है। परिस्थितियों के कारण इनकी पोषण की स्थिति दयनीय है तथा कई बच्चे गम्भीर कुपोषण के शिकार है। ये ईट–भट्टे व समान औद्योगिक इकाईया ग्राम से बाहर व दूर –दूर स्थित है। ऐसी स्थिति में इन्हें नियमित आंगनबाडी केन्द्रों से आईसीडीएस की सेवाऐं प्रदान की जाना संभव नही हो पा रहा है।

अतः जिले में तकरीबन ईट–भट्टे व समान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 100 अतिरिक्त आगनबाडी केन्द्रो की आवश्यकता होगी। सामान्य केन्द्र वर्ष पर्यन्त चलते है, परन्तु इन ईकाईयों में श्रमिक वर्ष में 8–10 माह ही कार्यरत व निवासरत रहते है। अतः यह केन्द्र वर्ष में 8–10 माह ही कियाशील रहगे। इन ईकाईयों में पढी लिखी महिला उपलब्ध होना संभव नही है, अतः निकटवर्ती बडे ग्राम से आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का चयन करायां जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त ईकाईयों के लिए 100 अतिरिक्त आंगनबाडी केन्द स्वीकृत कराने का श्रम करावें ।

भवदीय,

Sd/–
जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1– डॉ0 योगेश दुबे माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

जिला कलक्टर
भीलवाडा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा (राजस्थान)

क्रमांक / विकास / 2013/44057 दिनांक 08 फरवरी 2013

आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,
जयपुर

विषयः— माईग्रेटरी छात्रावास एवं शिक्षा मित्र केन्द्र (एसएमके) खोले जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 06—02—2013 को माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जिले का भ्रमण करके एक बैठक ली गई। उक्त बैठक माननीय सदस्य द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भीलवाडा जिले में बहुतायत में ईट भट्टे संचालित हैं, इनमें बाहर के आये हुए श्रमिक मय परिवार के रहते है। जिले में संचालित ईट—भट्टो, खनन एवं औद्योगिक इकाईयों पर कार्यरत श्रमिकों के बालक बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा हेतु लगभग 50 शिक्षा मित्र केन्द्र (एसएमके) लगभग 1000 बालक—बालिकाओं हेतु खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करावें, ताकि उक्त बालक—बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जा सकें।

साथ ही खनन क्षैत्र (माण्डलगढ ब्लॉक के बिजौलिया,सलावटिया,कास्या) तथा ईट— भट्टो (माण्डल ब्लॉक के हरिपुरा तथा आसीन्द ब्लॉक के मोड का निम्बाहेडा) पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चो हेतु 05 आवासीय विद्यालय/माईग्रेटरी छात्रावास खोले जाने की स्वीकृती भी अपेक्षित है।

अतः उक्त ईकाईयों के लिए (एसएमके) केन्द्र एवं 05 माईग्रेटरी छात्रावास स्वीकृत कराने का कष्ट करावें।

भवदीय,

Sd—
जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—
1— डॉ0 योगेश दुबे माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

जिला कलक्टर
भीलवाडा

(14)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा (राजस्थान)

क्रमांक / विकास / 2013 / 44059 दिनांक 08 फरवरी 2013

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान सरकार – जयपुर

विषयः– भीलवाडा जिलें के बाल संरक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत् ।

महोदया,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि डॉ0 योगेश दुबे माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.02 2013 की अध्यक्षता में भीलवाडा जिले में आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार भीलवाडा जिले की तहसील मांडल एवं आसीन्द क्षैत्र में बहुतायात में ईट भट्टे संचालित है, जिसमें अन्य राज्य यथा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इत्यादी सें ईट भट्टों पर कार्य करने हेतु प्रवासी परिवार आते है, जो कि वर्ष में 8 से 10 माह तक भीलवाडा ज़िलें मे रहते है।

बैठक में समीक्षा के दौरान निम्नानुसार जिलें के उक्त क्षैत्र में ईट भट्टो पर कार्यरत परिवारों के 6 से 18 वर्ष के बच्चो के संरक्षण व विकास हेतु आवश्यकता महसूस होने से निम्नानुसार प्रस्ताव स्वीकृत करवाने का कष्ट करें:–

1– ईट भट्टो पर कार्यरत प्रवासी परिवारों के 6 से 18 वर्ष के बच्चो हेतु 04 शेल्टर होम की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

2– पंचायत समिति मांडल व आसीन्द में निवाससरत ईट भट्टों पर कार्यरत परिवारों के बच्चों एवं इस क्षैत्र निवासरत घुमन्तु व विमुक्त जातियों के परिवारों के बच्चों हेतु 50–50 छात्रों हेतु 02 छात्रावास खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे ताकि इन वर्गो के बच्चों को लाभान्वित किया जा सकें एवं बाल संरक्षण के कार्यक्रम को जिलें में गति दी जा सके।

भवदीय,

Sd/–
जिला कलक्टर
भीलवाडा

पतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1– डॉ0 योगेश दुबे माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

जिला कलक्टर
भीलवाडा

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
कार्यालय उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा (राज.)

मा0 डॉ0योगेश दुबे
सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार सरंक्षण आयोग,
भारत सरकार ,नई दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 06.02.2013 को श्रीमान् की अध्यक्षता में जिला अधिकारियों की बैठक में दिए गए निर्देशों अनुसार विभाग द्वारा निम्न प्रकार से कार्यवाही अमल में लाने का निश्चय करता है :–

1. जिलें में स्थित ईंट भट्टों की सूची मय नियोजक/मालिक का नाम व पता, उसमें नियोजित श्रमिको की संख्या तथा श्रमिकों के साथ निवास करने वालें 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या का विवरण संस्थानवार प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जावेगी।
2. उक्त सूचना संकलन के साथ ही ईंट भट्टो पर लागू श्रम अधिनियमों का प्रभावी प्रवर्तन कार्य करवाया जावेगा। भट्टो के निरीक्षण के समय अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की स्थिति में पंजीयन करवाने की कार्यवाही की जावेगी।
3. निर्देशानुसार वर्ष 2013 में विशेष अभियान के तहत बाल श्रम उन्मूलन/मुक्त कराने हेतु बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरीक्षण कार्यवाही करवाई जावेगीं। जिसमें टास्क फोर्स के साथ नियमित अन्तराल पर कार्यवाही की जावेगी। जिला टास्क फोर्स में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं दो सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना है।
4. बालको के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपेक्षित सूचनाओं का सम्बन्धित विभागों यथा–सामाजिक अधिकारिता ,शिक्षा ,महिला एवं बाल विकास ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कारखाना एवं बायलर्स एवं बाल कल्याण समिति के साथ आदान–प्रदान एवं समन्वय रखा जाकर बच्चों को शिक्षा से जोडने एवं उनको स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में परिणाम उन्मुख कार्यवाही की जावेगी।
5. उक्त कार्य योजना पर आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित विभागों एवं जिला प्रशासन से संवाद कायम रखा जाकर अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत कार्यवाही :–

1. वर्ष 2008 में विशेष विद्यालयों की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त मुख्य धारा शिक्षा से जोडे गए बालको की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवाना।
2. जिलें में स्वीकृत विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों को प्रारम्भ करवाना ।
3. जिलें में बाल श्रमिको की पहचान हेतु पुनः सर्वे करवाया जाना है। सर्वे में ईंट भट्टों में कार्यरत एवं निवासित बाल श्रमिको को भी संम्मिलित किया जायेगा। तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार नये विशेष विद्यालय प्रारम्भ किए जायेगें। उक्त कार्य को परियोजना निदेशक प्राथमिकता से संपन्न करवायेंगे।

भवदीय
उप श्रम आयुक्त
भीलवाडा

CLDP Delhi with recommendation 8/2/13

118 F:\DC\Latter File Bocw.doc

9460406133

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: विकास/2013 दिनांक: फरवरी, 2013

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

डॉ0 योगेश दुबे, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, की अध्यक्षता में भीलवाड़ा जिले में बाल अधिकारों के संरक्षण विषय पर एक बैठक दिनांक 06.02.2013 को सांय 03.00 बजे जिला कार्यालय के सभागार में रखी गयी । उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–'अ' संलग्न है ।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय सदस्य महोदय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, सलाहकार, एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों, बाल कल्याण समिति के सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की ।

माननीय आयोग सदस्य के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विभागीय अधिकारियों से अपने–अपने विभाग की प्रगति, समस्याओं एवं सुझावों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया, जिसका विवरण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का विवरण इस प्रकार है:–

1. **श्रम विभाग:**

उप श्रम आयुक्त, श्रम विभाग ने बताया कि जिले में 95 ईंट–भट्टे हैं जिनमें से ज्यादातर चिमनी वाले हैं तथा इन ईंट–भट्टों का समय–समय पर विभागीय श्रम निरीक्षकों के मार्फत निरीक्षण करवाया जाता है । इसी कम में विभाग द्वारा इस वर्ष 28 ईंट–भट्टों का निरीक्षण करवायां गयां जिनमें से 6 ईंट–भट्टा मालिकों द्वारा नियमों की पालना नहीं करने पर उनके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये तथा दण्डित भी किया गया है । निरीक्षण के दौरान जिन ईंट–भट्टा मालिकों द्वारा सही रेकार्ड संधारित नहीं करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गयी है। श्रमिकों को पूरा वेतन मिल रहा है या नहीं, इसकी जॉच की जाती है । जिले में होटल, ढाबे, जलपानगृह एवं संस्थानों में निरीक्षण के दौरान बाल श्रमिकों की उम्र के बारे में रेकार्ड की जॉच कर 39 बाल श्रमिकों को भी मुक्त करवाया गया है । जिले में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी समय–समय पर बैठकें आयोजित कर क्षेत्र में निरीक्षण किये जाते हैं, पम्पलेट वितरित किये जाते हैं ।

उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 6500 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन करवाये गये हैं । लगभग 12000 मजदूर ईंट–भट्टों पर लगे हुये हैं । परियोजना निदेशक ने बताया कि जिले में वर्ष 2010 में बाल श्रमिकों का एनजीओ के मार्फत सर्वे करवाया गया जिसमें 2366 बाल श्रमिक चिन्हित हुये थे जिनका सत्यापन करवाने पर 1384 बाल श्रमिकों की पुष्टि हो पायी जिसके आधार पर 16 विशेष विद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये थे परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई । इसके बाद वर्ष 2012 में सर्वे करवाया गया जिसमें 1283 बाल श्रमिक चिन्हित

हुये हैं जिनका सत्यापन उपखण्ड अधिकारियों से करवाये जाने पर 581 बालकों की पुष्टि की गयी । सर्वे सत्यापन उपरान्त 10 बाल श्रमिक विद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं विद्यालय प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है । चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:-

1. जिले में कुल कितने ईंट-भट्टे (चिमनी वाले एवं बिना चिमनी वाले) संचालित है, कितने वैध या अवैध तरीके से संचालित है, कितने ने एनओसी ले रखी है या कितने ने नहीं ले रखी है, कितने कृषि भूमि पर संचालित है एवं कितने कनवर्सन करवाने के बाद संचालित है, की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट भिजवाई जावे ।
2. जिले के समस्त ईंट-भट्टों पर शीघ्र ही दुबारा सर्वे करवाकर वहां कार्यरत बाल श्रमिकों को चिन्हित किया जावे ।
3. जिले के ईंट-भट्टों एवं अन्य व्यवसाय में कार्यरत अन्य राज्य के श्रमिकों का माईग्रेसन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जावे ।
4. जिले के समस्त ईंट-भट्टों पर सर्वे करवाया जावे कि कितने ईंट-भट्टा मालिकों द्वारा मजदूरों को एडवांस देकर उनसे कार्य करवाया जा रहा है ।.
5. जिले के समस्त ईंट-भट्टों एवं खनन लीज/पट्टों पर नोर्म्स के आधार पर सभी प्रकार के रजिस्टर/रेकार्ड संधारित करने के लिये मालिकों को पाबन्द करने के लिये उप श्रम आयुक्त/प्रर्वतन अधिकारी (केन्द्रीय)/खनि अभियन्ता को निर्देश दिये ।

2. <u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग:</u>

अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की अब तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले के गंगापुर एवं जिला मुख्यालय पर दो एमटीएस सेण्टर में जिले के चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन जिले के चिकित्सालयों में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त होने से कुपोषित बच्चों के माता-पिता एमटीएस सेण्टर के संचालन में बाधा आती है । अतः जिले के चिकित्सालयों में शिशु रोग विशेषज्ञों के पद भरे जाने चाहिये तथा कुपोषित बच्चों के माता-पिता को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई जानी चाहिये। चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:-

1. जिले के चिकित्सालयों में डॅाक्टर्स के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन्न बाबत् प्रस्ताव बनाकर भिजवाये जावें ।
2. जिले के समस्त ईंट-भट्टों एवं खनन लीज/पट्टों पर कार्यरत श्रमिकों एंव उनके बच्चों के उपचार व टीकाकरण के लिये हर माह नियमित रूप से मेडिकल टीम भिजवाई जावे ।
3. जिले के समस्त ईंट-भट्टों एवं खनन लीज/पट्टों पर कार्यरत श्रमिकों एंव उनके बच्चों के उपचार व टीकाकरण करवाने के लिये समस्त ईंट-भट्टा एवं खनन लीज/पट्टा मालिकों को पाबन्द करने के लिये निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स तथा प्रर्वतन अधिकारी (केन्द्रीय) श्रम विभाग को निर्देश दिये ।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग:

सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की अब तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति को जिला कार्यालय के भवन में ही भवन, कम्प्यूटर, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवाई गयी है । चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:–

1. गत/इस वर्ष जिला टास्क फोर्स कमेटी की कितनी बैठकें जिले में आयोजित कर क्या निर्णय लिये गये, उक्त बैठकों के समस्त कार्यवाही विवरण की प्रतियां 10 दिन में आयोग को भिजवाई जावे ।
2. जिला टास्क फोर्स कमेटी में अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति को भी सदस्य बनाया जाकर बैठक में आमंत्रित किया जावे ।
3. जिले में किशोर बाल गृह कितने एवं कहां–कहां पर संचालित है तथा इनके जिम्मेदार अधिकारी कौन है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आयोग को भिजवाई जावे ।
4. जिले में नये किशोर बाल गृह एवं घुमंतु लोगों के लिये होस्टल खोलने के प्रस्ताव तैयार किये जावे ।

4. महिला एवं बाल विकास विभाग:

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की अब तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि जिले में संचालित ईट–भट्टों में 2–3 ईट–भट्टों का कलस्टर बनाकर वहाँ पर कुल 30–40 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं जिससे कि वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों एवं महिलाओं को विभाग की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया जा सके । उन्होंने बताया कि विभाग के सर्वे में जिले में 0 से 6 वर्ष के 1812 अति कुपोषित एवं 58244 कुपोषित बच्चे चिन्हित हुये हैं जिनके जिले के दो एमटीएस सेण्टर में उपचार करवाने हेतु जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अतिकुपोषित बच्चों को रेफर कर इलाज करने का लक्ष्य मानकर कार्य किया जा रहा है । चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:–

1. जिले में जहां–जहां पर ईट–भट्टे एवं खनन लीजं/पट्टे चल रहे हैं, वहां पर कार्य करने वाले श्रमिकों व उनके बच्चों के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिये सर्वे करवाकर ब्लॉकवाईज प्रस्ताव तैयार कर आयोग को भिजवाये जावे ।
2. सीडीपीओ के प्रत्येक ब्लॉक की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर आयोग को रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

5. शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान:

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, अति0 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, अति0 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं एडीपीसी, एसएसए ने विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की अब तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । अति0 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा ने बताया कि विभाग के सर्वे में 12814 बच्चे ड्राप आउट एवं 6633 बच्चे अनामांकित पाये गये जिनमें से 10983 ड्राप आउट बच्चों को एंव 1832 अनामांकित बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है । एडीपीसी, एसएसए ने बताया कि विभाग द्वारा

(50)

करवाये गये सर्वे के दौरान पाये गये अनामांकित बच्चों के लिये विभाग द्वारा 13 सेण्टर चालू किये जाकर 302 बच्चों का नामांकन किया गया तथा द्वितीय चरण के सर्वे के दौरान जो बच्चे सामने आये, उनके लिये भी 6 माह का ब्रिज कोर्स चालू किया गया है । चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:–

1. वर्ष 2008 में जिले में संचालित 60 विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सूची 15 दिन में तैयार करवाकर आयोग को भिजवाने के लिये अति0 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देश दिये कि उक्त बच्चों में कितने बच्चे आज दिनांक को जिले के किस विद्यालय में अध्ययनरत है तथा कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है । मुख्य धारा से जोड़े गये बच्चों की सूची परियोजना निदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक को उपलब्ध कराई जायेगी ।
2. जिले के ड्रॉप आउट 12814 चिन्हित बच्चों में से जिन 10983 बच्चों को जिले के विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है, उनकी विद्यालयवार सूची तैयार कर आयोग को भिजवाई जावे ।
3. राप्रावि कीरखेड़ा (माण्डल) के निरीक्षण के दौरान 11.30 एएम तक एक भी अध्यापक के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही, वहां के खराब टॉयलेट की स्थिति सुधारी जावे एवं मिड डे मिल की समुचित व्यवस्था की जावे ।
4. जिले के कितने विद्यालयों में टॉयलेट सुविधा उपलब्ध होकर वहां पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, की रिपोर्ट 15 दिन में तैयार कर आयोग को भिजवाई जावे एवं जिन विद्यालयों में टॉयलेट व पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर अतिशीघ्र सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।
5. जिले में जहां–जहां पर ईंट–भट्टे एवं खनन लीज/पट्टे चल रहे हैं, वहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिये विद्यालय एवं होस्टल खोलने के लिये सर्वे करवाकर ब्लॉकवाईज प्रस्ताव तैयार कर आयोग को भिजवाये जावें ।

6. <u>खनिज विभाग/श्रम प्रवर्तन अधिकारी(केन्द्रीय)/पर्यावरण विभाग:</u>

खनि अभियन्ता, खनिज विभाग, भीलवाड़ा ने विभागीय गतिविधियों एंव योजनाओं की अब तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि जिले में 1036 खनन लीज/पट्टे भीलवाड़ा खण्ड में एंव लगभग 3000 खनन लीज/पट्टे बिजौलिया खण्ड में स्वीकृत है जिनमें ज्यादातर स्टोन माईन्स का कार्य होता है । चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:–

1. जिले में स्वीकृत समस्त खनन लीज/पट्टों की लिस्ट तैयार कर आयोग को एवं डीजी सेफ्टी माईन्स को भिजवाई जावे ताकि उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन किया जा सके ।
2. जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिये समय–समय पर निरीक्षण करवाये जावे तथा इस कार्य में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित किया जावे ।
3. जिले के समस्त ईंट–भट्टों एवं खनन लीज/पट्टों पर नोर्म्स के आधार पर सभी प्रकार के रजिस्टर/रेकार्ड संधारित करने के लिये मालिकों को पाबन्द किया जावे ।
4. जिले के माण्डल एवं आसीन्द ब्लॉक के ईंट–भट्टा क्षैत्र के वाटर कन्टामिनेशन एवं पर्यावरण प्रदूषण की जांच करवाकर 30 दिन में आयोग को रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

7. <u>कारखाना एवं बॉयलर्स:</u>

चर्चा उपरान्त माननीय आयोग सदस्य ने निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये:–

(57)

निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स द्वारा जिले में विभागीय नोर्म्स के आधार निरीक्षण किये जावें। अतः कम से कम 40 ईट–भट्टों का निरीक्षण कर 30 दिन में आयोग को रिपोर्ट भिजवाने तथा आगे भी समय–समय पर निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई जावे । साथ ही ईट–भट्टों में कार्यरत महिला श्रमिकों के बच्चों के लिये क्रेच की व्यवस्था एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कारखाना अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।

<u>अध्यक्ष, सीडबल्यूसीः</u>

- श्रीमती सुमन त्रिवेदी, अध्यक्ष महोदया, बाल कल्याण समिति ने बताया कि विगत 18 माह से जिले में बाल कल्याण समिति कार्य कर रही है । उन्होंने बताया कि जिले में एक सरकारी एवं 3 निजी किशोर बाल–गृह संचालित है जिनमें खाने–पीने, रहने, बिस्तर, शिक्षा आदि की सारी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध होने एवं बाल श्रमिकों को काफी समझाने व प्रेरित करने के बावजूद श्रमिकों के बच्चे वहां पर रहने को तैयार नहीं होते हैं । दरतुतः श्रमिकों के साथ रहने वाले बालक खाली समय में अपने माता–पिता के कार्य में हाथ बंटाते हैं इसलिये ऐसे बालक बाल–गृह में आने में कोई रूचि नहीं लेते हैं ।
- अध्यक्ष महोदया ने कहा कि यदि जिले में ईंट–भट्टों एवं खनन लीज/पट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों के लिये विद्यालय एवं होस्टल स्वीकृत कर संचालित किये जाते हैं तो उनमें रहने वाले बच्चों के लिये स्टेशनरी एवं यूनिफार्म बाल कल्याण समिति द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी ।

अन्त में अति0 जिला कलक्टर ने माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुये उपस्थित अधिकारियों को यह निर्देश दिये कि आज की बैठक में हुये विचार–विमर्श के अनुसार विभागीय कार्य योजना तैयार की जाकर समयबद्ध तरीके से अनुपालना सुनिश्चित की जावे । बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी ।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/2013/44053 दिनांकः 8 फरवरी, 2013

<u>प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. निजी सचिव, माननीय सदस्य महोदय, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन/शहर, भीलवाड़ा
3. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष.. को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि बैठक कार्यवाही विवरण में वर्णित आपके विभागीय बिन्दुओं/निर्देशों की पालना शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित की जाकर पालना रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय एवं इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

08/02/13
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
भीलवाड़ा

दिनांक 06.02.2013 को रा.बा.अधि.स.बैठक में उपस्थित होने वाले अधिकारीयो की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद एवं कार्यालय का नाम	हस्ताक्षर	मोबाईल नं.
1	[illegible]	ACEO- BHL.	[illegible]	
2	Jyoti Swaroop	Addl SP (HQ) Bhl	[illegible]	
3	के. के. चन्द्रवंशी	P&PWC [illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	आर.आर. [illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	डॉ एस. एल. [illegible]	CWC Member	[illegible]	
7	[illegible] कुमार [illegible]	Member CWC	[illegible]	
8	डॉ. सुमन त्रिवेदी	Chairperson CWC	[illegible]	[illegible]
9	धर्मराज प्रतिहार	DPSW SJE	[illegible]	968C360[illegible]
10	श्याम सुन्दर जोशी	उपनिदेशक [illegible]	[illegible]	96104090[illegible]
11	Kalpana Sharma	ADPC, SSA, BHL.	[illegible]	902486
12	Mohd. Siraj Khan	I.E.C. D.I.C BHL	[illegible]	
13	A.K. pathan	Dy. D.E.O phy. edu	[illegible]	
14	Daya Saxena	D.D (ICDS)	[illegible]	[illegible]
15	Avinash Kuldeep	Mining Engineer Bhilwara	[illegible]	
16	Kusum Jakheliya	ADEO Ele	[illegible]	[illegible]
17	Shrichand Tetarwal	Dy. Lab. Comm	[illegible]	9460[illegible]061
18	Manju Pokhrna	Bal Cala Sa[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	Madan vaishnav	[illegible]	[illegible]	
20	अरुणा [illegible]	[illegible] PD	[illegible]	[illegible]
21	J. K Meena	L.E.O (I) Ajmer NCLP	[illegible]	94142427
22	S C Joshi	RLC (C) Ajmer	[illegible]	9314419
23	Vishveshwar Chandhary	Labour Inspector	[illegible]	
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
25	[illegible] शर्मा	[illegible]	[illegible]	982924046
26	S.N. Sharma	D.E.O. Sec. II BHL	[illegible]	9928277[illegible]
27	Sharad Sharma	A.D ICPS SJE	[illegible]	94143[illegible]26[illegible]
28				